



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
ऑफिस काम्पलैक्स, सैक्टर-९ शास्त्रीनगर मेरठ



पत्र सं०-

दिनांक-

सेमीफिनिशड भवनों का प्रारूप
प्रदेशन पत्र

सेवा में,

सामान्य

श्री
निवासी-
मोबाईल-

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक को सम्पन्न ई-नीलामी में जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में स्थित सेमीफिनिशड भवन सं० के आरक्षित मूल्य रु० के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम बोली रु० को उप आवास आयुक्त (म०), मेरठ जोन, मेरठ ने कार्यालय पत्रांक दिनांक के द्वारा स्वीकृत की गयी है। यह प्रदेशन पत्र आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों पर जारी किया जा रहा है। प्रदेशन पत्र का विवरण निम्नवत है:-

1. भवन का क्षेत्रफल
2. भवन मूल्य (फ्रीहोल्ड सहित) आरक्षित दर पर रु०
3. नीलामी से प्राप्त उच्चतम मूल्य रु०
4. (-) टोकन मनी रु०
5. नगद क्रय पर भवन का मूल्य दि० 30.06.2023 तक रु०
6. एक मुश्त ली जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि रु०
(1845706 - 111100)
7. रु० 100.00 के पूर्णांक में ली जाने वाली धनराशि रु०
8. शेष धनराशि रु० जिस पर 11.50 प्रतिशत रु०
ब्याज के साथ 72 मासिक किस्तों का निर्धारण किया गया है, जिसकी प्रथम किस्त दिनांक से देय होगी।
9. दिनांक तक जमा योग्य कुल धनराशि रु०
10. विलेख निष्पादन शुल्क रु०
11. विज्ञापन शुल्क रु०
12. जीएसटी रु०

अतः आप क्रमांक 9 पर अंकित धनराशि दिनांक तक तथा क्रमांक-10 व 11 पर अंकित धनराशि का भुगतान दिनांक एवं क्रमांक-12 पर अंकित धनराशि का भुगतान दिनांक तक निर्धारित तिथि तक परिषद की वेबसाईट पर ऑनलाईन करते हुए अथवा चालान जनरेट करते हुए बैंक कार्यदिवस में जमा करनी होगी। नकद भुगतान की दशा में तक जमा करना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित तिथि के बाद धनराशि का भुगतान किये जाने पर (11.5+2 कुल 13.5 प्रतिशत) वार्षिक की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त ब्याज देय होगा। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो सम्पूर्ण टोकन मनी जब्त करते हुए आवंटन तथा पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तीन माह के उपरान्त आवंटी के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर सम्पूर्ण टोकन मनी की कटौती करते हुए पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटित सम्पत्ति अन्य के पक्ष में आवंटित कर दी जायेगी। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

नकद क्रय पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य के विरुद्ध सम्पूर्ण देय धनराशि का इस पत्र की निर्गमन तिथि से दो माह (60 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड के कुल मूल्य पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। दो माह (60 दिन) के अन्दर भुगतान करने की स्थिति में आवंटी की

छूट को स्वयं समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय भूखण्डों पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा पत्र की निर्गत तिथि से 05 वर्ष अनुमन्य है। इसके उपरान्त समयवृद्धि की स्वीकृति समक्ष स्तर से ली जानी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नोट:- आपके द्वारा परिषद खाते में जमा की जाने वाली धनराशि का 01 प्रतिशत टी0डी0एस0 पैन नम्बर AAAJU0103A की टिन वेबसाईट पर उपलब्ध फार्म संख्या-26व्यू0बी0 से आयकर विभाग में जमा करके फार्म-16 बी में टी0डी0एस0 जमा करने की सूचना भरकर इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि आयकर विभाग में 01 प्रतिशत से कम धनराशि जमा होती है तो शेष धनराशि परिषद खाते में जमा करानी होगी।

सम्पत्ति प्रबन्धक

भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने हेतु दिनांक

तक निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करें :-

1. राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम व पता अंकित हो दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें।
2. बैंक में जमा अर्ध्यावधिक भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत करें।
3. कब्जा लेने हेतु शासनादेशानुसार देय स्टाम्प पेपर तथा रू0 100/- का एक अन्य स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध स्वयं टाइप कराकर प्रस्तुत करें।
4. निम्नलिखित प्रारूप में रू0 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
5. दो गवाहों की आई0डी0 एवं अपनी आई0डी0 की छायाप्रति।
6. 01 प्रतिशत टी0डी0एस0 जमा होने की दशा में 26-बी फार्म।

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....उम्र.....वर्ष निवासी..... निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ :-

1. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः अंशतः मेरठ नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अव्यस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. मेरी समस्त स्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष.....को वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे/पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं। कुल रू0 से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम).....घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

दिनांक :

शपथी

प्रमाणित

प्रमाणित मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
आफिस काम्पलैक्स, सैक्टर-९, शारत्रीनगर, मेरठ।



पत्रांक -

/सं०प्र०- मेरठ/

दिनांक:-

प्रदेशन पत्र

सेवा में,

श्री

पुत्र श्री

निवासी-

मो०-

विषय: योजना संख्या-
के प्रदेशन पत्र के सम्बन्ध में।

मेरठ में स्थित दुकान संख्या

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक को सम्पन्न नीलामी में योजना
संख्या- मेरठ में स्थित दुकान संख्या के विरुद्ध बोली गयी उच्चतम
बोली रू० , मेरठ जोन के पत्र संख्या- दिनांक
द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। यह प्रदेशन पत्र आपको परिषद द्वारा निर्धारित
सामान्य शर्तों पर जारी किया जा रहा है।

1.	दुकान संख्या		
2.	दुकान का क्षेत्रफल		
3.	दुकान का मूल्य	रू०	
4.	टोकन मनी के रूप में जमा धनराशि	रू०	
5.	दिनांक तक देय 50 प्रतिशत धनराशि	रू०	
6.	रू० 100.00 के पूर्णांक पर देय धनराशि	रू०	
07.	शेष धनराशि जिस पर किस्त निर्धारित की जानी है	रू०	
08.	दिनांक से देय मासिक किस्तों की धनराशि	रू०	
09.	मासिक किस्तों की संख्या		72
10.	किस्तों पर व्याज की दर		11%
11.	विलम्ब से भुगतान करने पर देय दण्ड व्याज की दर		13%
12.	विविध व्यय	रू०	
13.	विज्ञापन शुल्क	रू०	
14.	जी०एस०टी० शुल्क	रू०	

(2)

अतः आप क्रमांक 5 व 8 पर अंकित धनराशि

परिषद की वेबसाइट पर जा कर आनलाईन चालान के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से धनराशि किश्त पद्धति दिनांक तक एवं क्रमांक 05 पर अंकित धनराशि नकद पद्धति पर पत्र निर्गत होने की तिथि के 60 दिन के अन्दर भुगतान करने पर सम्पत्ति के कुल मूल्य पर 05 प्रतिशत छूट दी जायेगी। आवंटी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। उक्त 05 प्रतिशत की छूट विविध व्यय एवं जीएसटी पर देय नहीं होगी।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक

कब्जा प्राप्त करने हेतु दिनांक तक निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करें :-

1. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि के चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में/ऑनलाईन चालान की छायाप्रति जमा करें।
2. राजपत्रित अधिकारी जिसमें अधिकारी व नाम व पदनाम तथा विभाग के नाम का उल्लेख हो, की सील सहित प्रमाणित अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम व पता अंकित हो दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें।
3. बैंक में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी धनराशि की रसीद भी प्रस्तुत करें।
4. कब्जा लेने हेतु शासनादेशानुसार देय स्टाम्प पेपर तथा रू0 100/- का एक अन्य स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख टाइप कराकर प्रस्तुत करें।
5. निम्नलिखित प्रारूप में रू0 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
6. आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
ऑफिस कागपलैवरा, सैक्टर-९ शास्त्रीनगर मेरठ

भारतीय मानक ब्यरो



पत्र सं०-

दिनांक

रु० 1.00 करोड़ से 3.00 करोड़ तक का प्रारूप
प्रदेशन पत्र

पंजीकृत

सेवा में,

श्री
निवासी-

मोबाईल नं०-

महोदय/महोदया,

परिषद की

योजना संख्या- मेरठ में ई-नीलामी में दिनांक

को व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-

पर दी गयी उच्चतम बोली स्वीकृति उपरान्त जोनल आयुक्त/अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ जोन, मेरठ के कार्यालय आदेश संख्या- दिनांक के द्वारा आपके पक्ष में आवंटित हुआ है। परिषद द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन आपके पक्ष में प्रदेशन पत्र निर्गत किया गया है। सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि तथा विविध शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

क	सम्पत्ति का कुल मूल्य		ख	जमा टोकन धनराशि	रु०
	भूखण्ड का क्षेत्रफल		ड	विविध शुल्क का विवरण	
	आप द्वारा दी गयी उच्चतम बोली रु०- प्रति वर्गमी० के आधार पर भूखण्ड का कुल मूल्य फ्रीहोल्ड सहित	रु०		1 विलेख निष्पादन व्यय	रु०
	10 प्रतिशत कार्नेर शुल्क	रु०		2 सीवर / जल संयोजन शुल्क	रु०
	भूखण्ड का कुल मूल्य	रु०		3 अन्य (साईट प्लान शुल्क)	रु०
ग	नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि (टोकन धनराशि रु० समायोजन) दिनांक तक देय	रु०		4 विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत	रु०
घ	किश्त क्रय पर जमा योग्य धनराशि :-		च	5. कुल देय धनराशि	रु०
	1. प्रथम किश्त के साथ एकमुश्त देय धनराशि 50 प्रतिशत	रु०		जी०एस०टी० 18 प्रतिशत	रु०
	2. शेष धनराशि निकटतम रु०-100.00 के पूर्णांक पर	रु०			
	3. अवशेष मूल्य रु० पर 11.00 प्रतिशत ब्याज सहित बनायी गयी 60 मासिक किश्तों में से प्रथम किश्त जो दिनांक से देय है। मीन-	रु०			
	5. देय धनराशि दिनांक तक	रु०			

कृपया उक्त घ-क्रमांक-5 एवं ड के क्रमांक-5 पर अंकित धनराशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक परिषद की वेबसाईट पर ऑनलाईन करते हुए अथवा चालान जनरेट करते हुए बैंक कार्यदिवस में जमा करनी होगी। नकद भुगतान की दशा में तक उपरोक्तानुसार बैंक खाते में जमा करना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित तिथि के बाद धनराशि का भुगतान किये जाने पर (11.0+2 कुल 13.0 प्रतिशत) वार्षिक की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त ब्याज देय होगा। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो सम्पूर्ण टोकन मनी जप्त करते हुए आवंटन तथा पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तीन माह के उपरान्त आवंटी के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर सम्पूर्ण टोकन मनी की फटौती करते हुए पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटित सम्पत्ति अन्य के पक्ष में आवंटित कर दी जायेगी। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। नकद क्रय पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य के विरुद्ध सम्पूर्ण देय धनराशि का इस पत्र की निर्गमन तिथि से दो माह (60 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड के कुल मूल्य पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। दो माह (60 दिन) के अन्दर भुगतान करने की स्थिति में आवंटी की छूट का स्वयं समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय भूखण्डों पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा पत्र की निर्गत तिथि से 05 वर्ष अनुमन्य है। इसके उपरान्त समयवृद्धि की स्वीकृति समक्ष स्तर से ली जानी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नोट:- आपके द्वारा परिषद खाते में जमा की जाने वाली धनराशि का 01 प्रतिशत टी०डी०एस० पैर नम्बर AAJU0103A की टिन वेबसाईट पर उपलब्ध फार्म संख्या-28क्यू०बी० से आयकर विभाग में जमा करके फार्म-16 बी में टी०डी०एस० जमा करने की रूपना भरकर इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि आयकर विभाग में 01 प्रतिशत से कम धनराशि जमा होती है तो शेष धनराशि परिषद खाते में जमा करानी होगी।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

-: कब्जा हेतु आवश्यक निर्देश:-

- 1 किरत पद्धति पर भुगतान दिनांक तक एवं नकद पद्धति पर दिनांक तक बैंक कार्यदिवस में भुगतान देय है। वांछित धनराशि देय तिथि तक परिषद खाते में जमा न होने की स्थिति में परिषद नियमानुसार 13.0 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
- 2 सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु देय धनराशि का भुगतान करते हुए एवं वांछित औपचारिकताये दिनांक तक पूर्ण करनी होगी अन्यथा दिनांक से ₹0-100.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा एवं कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर खण्ड कार्यालय से भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं करने पर कब्जा लेने की तिथि तक ₹0-100.00 प्रतिदिन की दर से रख-रखाव शुल्क देय होगा।
- 3 न्यायालय के आदेशो से भूमिप्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किन्हीं कारणो से उक्त मूल्य में परिवर्तन होने पर तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।
- 4 परिषद के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नि०ख०- , उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मेरठ से मूखण्ड का डवलपमेन्ट का कार्य पूर्ण होने पर भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
- 5 सम्पत्ति का कब्जा नियमानुसार मूल आवंटी को ही देय होगा।
- 6 आवंटित मूखण्ड में जमा की जाने वाली धनराशि का भुगतान आवंटी के खाते से ही किया जायेगा।
- 7 आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा० सक्षम न्यायालयो द्वारा समय-समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते है तो उनका अनुपालन उभयपक्ष को करना होगा।
- 8 मूखण्ड के मूल्य के विरुद्ध सभी धनराशियाँ आवंटी के खाते से ही मान्य होगी, मूखण्ड के विरुद्ध समी वांछित किसी अन्य के खाते से जमा की गई धनराशि पर किसी प्रकार से कोई कार्यवाही / विचार नहीं किया जायेगा।
- 9 सेवर / जल संयोजन शुल्क के सम्बन्ध में आवंटी को भौतिक कब्जा से पूर्व सूचित कर, जमा करा लिया जायेगा।
- 10 मूखण्ड का भौतिक कब्जा स्थल पर विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विक्रय विलेख / अनुबन्ध निष्पादन उपरान्त देय होगा।
- 11 आवंटित मूखण्ड की माप/क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होना सम्भावित है।

आवंटी द्वारा दिनांक तक जमा किये जाने वाले प्रपत्रो की सूची:-

- 1 प्रदिष्ट सम्पत्ति के निबन्धन हेतु उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एच०पी०टी०ए०/विक्रय विलेख टंकित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उ०प्र० शासन के आदेशानुसार उक्त सुविधा पत्र निर्गमन की तिथि से 6 माह के अन्दर विलेख निष्पादन पर ही अनुमन्य है। उक्त अवधि के उपरान्त शासनादेशो के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 2 राजपत्रित अधिकारी से फोटो-हस्ताक्षर एवं पता प्रमाणित कराकर दो प्रतियो में तथा तीन पासपोर्ट साईज फोटो स्व प्रमाणित प्रस्तुत करें।
- 3 ₹0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर कब्जा हेतु शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।
- 4 पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो पहचान पत्र आदि की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
- 5 उक्त प्रदेशन पत्र टोकन धनराशि परिषद खाते में क्रेडिट होने पर ही मान्य होगा।
- 6 कब्जे हेतु औपचारिकताये पूर्ण की स्थिति में दिनांक से ₹0 100/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय है।


कब्जा पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले ₹0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र का प्रारूप:-

शपथ पत्र	
मैं (नाम) _____ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री _____ उग्र _____ निवासी _____	
निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ:-	
1 मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चो के नाम कोई मूखण्ड/भवन पूर्णतया अंशतः मेरठ नगर में नहीं है और उ०प्र० के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय मूखण्ड / भवन नहीं है।	
2 मेरे / मेरी पत्नी / मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चो के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1979 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।	
3 मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ०प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन/मूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।	
4 मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष _____ की वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे सम्मिलित है कुल ₹0- _____ से अधिक नहीं थी।	
मैं (नाम) _____ घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेदन 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरे / मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
स्थान: _____ दिनांक : _____	शपथकर्ता के हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैं (नाम) _____ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री _____ निवासी-_____ को भली भौति जानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते है।
आवंटित मूखण्ड संख्या- _____
नमूना हस्ताक्षर:-
(1) _____
(2) _____
(3) _____
(नोट:-फोटो, हस्ताक्षर व पता प्रमाणित कर्ता राजपत्रित अधिकारी का नाम / सुपाव्य / सील होना आवश्यक है।)

फोटो



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
ऑफिस काम्पलैक्स, रीक्टर-9 शास्त्रीनगर मेरठ



दिनांक

पत्र सं०-

रु० 3.00 करोड़ से अधिक का प्रारूप
प्रदेशन पत्र

पंजीकृत

सेवा में,

सामान्य

श्री
निवासी

मोबाईल नं०-

महोदय/महोदया,

परिषद की

योजना संख्या- , मेरठ में ई-नीलामी में दिनांक

को व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-

पर दी गयी उच्चतम बोली स्वीकृति उपरान्त उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्ध अनुगाग, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या- दिनांक के द्वारा आपके पक्ष में आवंटित हुआ है। परिषद द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन आपके पक्ष में प्रदेशन पत्र निर्गत किया गया है। सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि तथा विविध शुल्क का विवरण निम्नवत है:-

क	सम्पत्ति का कुल मूल्य	ख	जमा टोकन धनराशि	रु०
	भूखण्ड का क्षेत्रफल	ड	विविध शुल्क का विवरण	
	आप द्वारा दी गयी उच्चतम बोली रु०-85220.00 प्रति वर्गमी० के आधार पर भूखण्ड का कुल मूल्य फ्रीहोल्ड सहित		1 विलेख निष्पादन व्यय	रु०
	10 प्रतिशत कार्नर शुल्क		2 सीवर/जल संयोजन शुल्क	रु०
	भूखण्ड का कुल मूल्य		3 अन्य (साईट प्लान शुल्क)	रु०
ग	नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि (टोकन धनराशि रु० समायोजन) दिनांक तक देय		4 विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत	रु०
घ	किश्त क्रय पर जमा योग्य धनराशि :-		5. कुल देय धनराशि	रु०
	1. दिनांक तक देय 50 प्रतिशत धनराशि (जिसमें टोकन मनी रु० समायोजित है)	घ	जी०एस०टी० 18 प्रतिशत	रु०
	2. शेष धनराशि निकटतम रु०-100.00 के पूर्णांक पर			
	3. अवशेष मूल्य रु० पर 11.00 प्रतिशत ब्याज सहित बनायी गयी 60 मासिक किश्तों में से प्रथम किश्त जो दिनांक से देय है।			

कृपया उक्त 'घ'-कमांक-5 एवं ड के कमांक-5 पर अंकित धनराशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक परिषद की वेबसाईट पर ऑनलाईन करत हुए अथवा चालान जनरेट करते हुए बैंक कार्यदियस में जमा करनी होगी। नकद भुगतान की दशा में तक उपरोक्तानुसार बैंक खाते में जमा करना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित तिथि के बाद धनराशि का भुगतान किये जाने पर (11.0+2 कुल 13.0 प्रतिशत) वार्षिक की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त ब्याज देय होगा। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो सम्पूर्ण टोकन मनी जब्त करते हुए आवंटन तथा पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तीन माह के उपरान्त आवंटी के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर सम्पूर्ण टोकन मनी की कटौती करते हुए पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटित सम्पत्ति अन्य के पक्ष में आवंटित कर दी जायेगी। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

नकद क्रय पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य के विरुद्ध सम्पूर्ण देय धनराशि का इस पत्र की निर्गमन तिथि से दो माह (60 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड के कुल मूल्य पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। दो माह (60 दिन) के अन्दर भुगतान करने की स्थिति में आवंटी की छूट को स्वयं समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय भूखण्डों पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा पत्र की निर्गत तिथि से 05 वर्ष अनुमन्य है। इसके उपरान्त समयवृद्धि की स्वीकृति समक्ष स्तर से ली जानी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नोट:- आपके द्वारा परिषद खाते में जमा की जाने वाली धनराशि का 01 प्रतिशत टी०डी०एस० पैन नम्बर AAAJU0103A की टिन वेबसाईट पर उपलब्ध फार्म संख्या-28क्यू०बी० से आयकर विभाग में जमा करके फार्म-18 बी में टी०डी०एस० जमा करने की सूचना भरकर इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि आयकर विभाग में 01 प्रतिशत से कम धनराशि जमा होती है तो शेष धनराशि परिषद खाते में जमा करानी होगी।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

:- कब्जा हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. विस्तृत पत्राति पर भुगतान दिनांक धनराशि देय तिथि तक परिवर्तन खाते में जमा न होने की स्थिति में परिवर्तन नियमानुसार 13.0 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त व्याज देय होगा।
2. सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु देय धनराशि का भुगतान करते हुए एवं वांछित औपचारिकताये दिनांक तक पूर्ण करनी होगी।
3. अस्था दिनांक से १०-100.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा एवं कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर खण्ड कार्यालय से भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं करने पर कब्जा लेने की तिथि तक १०-100.00 प्रतिदिन की दर से रख-रखाव शुल्क देय होगा।
4. कार्यालय के आदेशों से भूमिप्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य वित्तीय कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन होने पर तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।
5. परिवर्तन के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नि०ख०-मेरठ- , उ०प्र० आवास एवं विकास परिवर्तन, मेरठ से भूखण्ड का डवलपमेन्ट का कार्य पूर्ण होने पर भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
6. सम्पत्ति का कब्जा नियमानुसार मूल आवंटनी को ही देय होगा।
7. आवंटित भूखण्ड में जमा की जाने वाली धनराशि का भुगतान आवंटनी के खाते से ही किया जायेगा।
8. आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा० राक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते हैं तो उनका अनुपालन उमयपथ को करना होगा।
9. भूखण्ड के मूल्य के विरुद्ध सभी धनराशियों आवंटनी के खाते से ही गान्य होगी, भूखण्ड के विरुद्ध सभी वांछित किसी अन्य के खाते से जमा की गई धनराशि पर किसी प्रकार से कोई कार्यवाही / विचार नहीं किया जायेगा।
10. सार्व / जल संचयन शुल्क के सम्बन्ध में आवंटनी को भौतिक कब्जा से पूर्व सूचित कर, जमा करा लिया जायेगा।
11. भूखण्ड का भौतिक कब्जा स्थल पर विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विक्रय विलेख / अनुबन्ध निष्पादन उपरान्त देय होगा।
12. आवंटित भूखण्ड की माप/क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होना सम्भावित है।

- आवंटनी द्वारा दिनांक** _____ **तक जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची:-**
1. प्रद्विष्ट सम्पत्ति के निष्पादन हेतु उ०प्र० शारान द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क के गॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एच०पी०टी०ए०/विक्रय विलेख दर्जित करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उ०प्र० शारान के आदेशानुसार उक्त सुविधा पत्र निर्गमन की तिथि से 8 माह के अन्दर विलेख निष्पादन पर ही अनुमत्य है। उक्त अवधि के उपरान्त शारानादेशों के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
 2. राजपत्रित अधिकारी से फोटो-हरताक्षर एवं पता प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में तथा तीन पारापोर्ट साईज फोटो स्व प्रमाणित प्रस्तुत करें।
 3. १०-10.00 के स्टाम्प पेपर पर कब्जा हेतु शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।
 4. पेन काई, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो पहचान पत्र आदि की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
 5. उक्त प्रदेश पत्र टंकन धनराशि परिवर्तन खाते में क्रेडिट होने पर ही गान्य होगा।
 6. कब्जे हेतु औपचारिकताये पूर्ण की स्थिति में दिनांक _____ से १००/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय है।

कब्जा पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले १०-10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र का प्रारूप:-

शपथ पत्र

मैं (नाम) _____ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री _____ उग्र _____ निवासी _____

निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ:-

1. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अवयवक बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतया अंशतः मेरठ नगर में नहीं है और उ०प्र० के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है।
2. मेरे / मेरी पत्नी / मेरे पति अथवा अवयवक बच्चों के पारा नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1978 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अवयवक बच्चों द्वारा उ०प्र० नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष _____ की वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयवक बच्चों सम्मिलित है कुल १०- _____ से अधिक नहीं थी।

शपथकर्ता के हरताक्षर

मैं (नाम) _____ घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेदन 1 से 4 तक वर्णित सत्य मेरे / मेरी जानकारी में सही है और कोई भी सत्य छिपाया नहीं गया है

शपथकर्ता के हरताक्षर

स्थान _____ दिनांक : _____

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैं (नाम) _____ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री _____ निवासी- _____ को भली भाँति जानता हूँ। इनके

हरताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

आवंटित भूखण्ड संख्या- _____

नमूना हस्ताक्षर:-

- (1)
- (2)
- (3)

फोटो

(नोट:-फोटो, हस्ताक्षर व पता प्रमाणित कर्ता राजपत्रित अधिकारी का नाम / सुपाठ्य / सील होना आवश्यक है।)

IS 15700:2018



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
ऑफिस काम्पलैक्स, सैक्टर-९ शास्त्रीनगर मेरठ



पत्र सं०-

दिनांक-

प्रदेशन पत्र

सेवा में,

श्री
निवासी-
मोबाईल-

विषय:

योजना संख्या- मेरठ में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या- के
प्रदेशन पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक को सम्पन्न ई-नीलामी में जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में स्थित संख्या- के आरक्षित मूल्य रू० प्रति वर्गमीटर के विरुद्ध बोली गयी उच्चतम बोली रू० को उप आवास आयुक्त (म०), मेरठ जोन, मेरठ के कार्यालय पत्रांक दिनांक के द्वारा स्वीकृत की गयी है। यह प्रदेशन पत्र आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों पर जारी किया जा रहा है। प्रदेशन पत्र का विवरण निम्नवत है:-

1.	भूमि का क्षेत्रफल		
2.	भूमि मूल्य (फ्रीहोल्ड सहित) आरक्षित दर पर	रू०	
3.	नीलामी से प्राप्त उच्चतम मूल्य	रू०	
4.	(-) टोकन मनी	रू०	
5.	नगद क्रय पर भूखण्ड का मूल्य	रू०	
6.	एक मुश्त ली जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि	रू०	
7.	रू० 100.00 के पूर्णांक में ली जाने वाली धनराशि	रू०	
8.	शेष धनराशि रू० जिस पर - प्रतिशत ब्याज के साथ मासिक किस्तों का निर्धारण किया गया है, जिसकी प्रथम किस्त दिनांक से देय होगी।	रू०	
9.	दिनांक तक जमा योग्य कुल धनराशि	रू०	
10.	विलेख निष्पादन शुल्क	रू०	
11.	विज्ञापन शुल्क	रू०	
12.	जीएसटी		

पर अंकित धनराशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक परिषद की कृपया कर्मांक- वेबसाईट नचअचण्पद पर वदसपदम'मतअपवम के माध्यम से ई-चालान जनरेट करते हुए निर्धारित बैंक में जमा करनी होगी। किसी भी दशा में निर्धारित तिथि के बाद धनराशि का भुगतान किये जाने पर (कुल प्रतिशत) वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने का आवेदन प्रस्तुत करता है तो सम्पूर्ण टोकन मनी जब्त करते हुए आवंटन तथा पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तीन माह के उपरान्त आवंटी के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर सम्पूर्ण टोकन मनी की कटौती करते हुए पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटित सम्पत्ति अन्य के पक्ष में आवंटित कर दी जायेगी। आवंटन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जायेगा तथा डाक से विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। एक मुश्त भुगतान करने पर आवंटित सम्पत्ति के कुल मूल्य के विरुद्ध सम्पूर्ण देय धनराशि का इस पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड के कुल मूल्य पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। जिसको आवंटी द्वारा स्वयं सगायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने हेतु अनुमन्य अधि कब्जा पत्र की निर्गत तिथि से 05 वर्ष अनुमन्य है। इसके उपरान्त समयवृद्धि की स्वीकृति समक्ष स्तर से ली जानी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नोट- सम्पत्ति का मूल्य ₹ 50.00 लाख से अधिक होने के कारण सम्पत्ति के कुल मूल्य में से 01 प्रतिशत की धनराशि कटौती कर आवंटी द्वारा परिषद के टी0डी0एस0 पेन नम्बर AAAJU0103A में टिन वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म संख्या-26व्य040 से आयकर विभाग में जमा कराकर जमा का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस सम्पत्ति के विरुद्ध टी0डी0एस0 मद में जमा धनराशि का परिषद के फार्म 26 ए0एस0 से सत्यापन किये जाने के उपरान्त टी0डी0एस0 मद में जमा मानी जायेगी। विलम्ब की स्थिति में परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भवदीय

(सम्पत्ति प्रबन्धक)

—: कब्जा हेतु आवश्यक निर्देश:—

- किश्त पद्धति पर भुगतान दिनांक दिनों के अन्दर बैंक कार्यदिवस में भुगतान देय है। यांचित धनराशि देय तिथि तक परिषद खाते में जमा न होने की स्थिति में परिषद नियमानुसार 13.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
 - सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु देय धनराशि का भुगतान करते हुए एवं यांचित औपचारिकताये दिनांक तक पूर्ण करनी होगी अन्यथा दिनांक से ₹ 0 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा एवं कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर खण्ड कार्यालय से भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं करने पर कब्जा लेने की तिथि तक ₹ 0-50.00 प्रतिदिन की दर से रख-रखाव शुल्क देय होगा।
 - न्यायालय के आदेशों से भूमिप्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन होने पर तदनुसार आपकी भुगतान करना होगा।
 - परिषद के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नि0खण्ड- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ से भूखण्ड का डवलपमेन्ट का कार्य पूर्ण होने पर भौतिक कब्जा दिया जायेगा।
 - सम्पत्ति का कब्जा नियमानुसार मूल आवंटी को ही देय होगा।
 - आवंटित भूखण्ड में जमा की जाने वाली धनराशि का भुगतान आवंटी के खाते से ही किया जायेगा।
 - आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा0 सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते हैं तो उनका अनुपालन उभयपक्ष को करना होगा।
 - भूखण्ड के मूल्य के विरुद्ध सभी धनराशियों आवंटी के खाते से ही गान्य होगी, भूखण्ड के विरुद्ध सभी यांचित किसी अन्य के खाते से जमा की गई धनराशि पर किसी प्रकार से कोई कार्यवाही/विचार नहीं किया जायेगा।
 - सिंहर/जल संयोजन शुल्क के सम्बन्ध में आवंटी को भौतिक कब्जा से पूर्व सूचित कर, जमा करा लिया जायेगा।
 - भूखण्ड का भौतिक कब्जा स्थल पर विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विक्रय विलेख/अनुबन्ध निष्पादन उपरान्त देय होगा।
 - आवंटित भूखण्ड की माप/क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होना सम्भावित है।
- आवंटी द्वारा दिनांक** तक जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची:-
- प्रदिष्ट सम्पत्ति के निबन्धन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एच0पी0टी0ए0/विक्रय विलेख टंकित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार उक्त सुविधा पत्र निर्गमन की तिथि से 6 माह के अन्दर विलेख निष्पादन पर ही अनुमत्य है। उक्त अवधि के उपरान्त शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
 - राजपत्रित अधिकारी से फोटो-हस्ताक्षर एवं पता प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में तथा तीन पासपोर्ट साईज फोटो स्व प्रमाणित प्रस्तुत करें।
 - ₹ 10.00 के स्टाम्प पेपर पर कब्जा हेतु शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।
 - पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो पहचान पत्र आदि की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।
 - उक्त प्रदेश पत्र टोकन धनराशि परिषद खाते में क्रेडिट होने पर ही मान्य होगा।
 - कब्जे हेतु औपचारिकताये पूर्ण की स्थिति में दिनांक से ₹ 50/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय है।
- कब्जा पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले ₹ 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र का प्रारूप:-**

मैं (नाम) _____ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री _____ उम्र _____ निवासी _____
निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ:-
1 मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतया अंशतः मेरठ नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है।
2 मेरे / मेरी पत्नी / मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चों के पास नगर भूमि रीगारोपण अधिनियम 1979 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3 मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में फेसल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेश हेतु आवेदन करता/करती है।
4 मेरी सम्पत्ति श्रीतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष _____ की वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं कुल ₹ 0- _____ से अधिक नहीं थी।
मैं (नाम) _____ घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरे / मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।
रथान: _____ दिनांक: _____
शपथकर्ता के हस्ताक्षर
शपथकर्ता के हस्ताक्षर